

सरकार अभी भी छोटी कमज़ोर पार्टियों की तलाश में जुटी है

मकसद है, इन पार्टियों को तोड़ कर किसी तरह, दो तिहाई वोट इकट्ठे किये जा सकें, जिससे संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सके

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। लोकसभा में चल रही तीखी और उच्च-स्तरीय बहस के बीच, जहां विपक्ष ने मिलकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर चुनाव जीतने के उद्देश्य से लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कड़ा हमला किया, वहीं सरकार के मुख्य रणनीतिकार पदों के पीछे संख्या जुटाने में लगे हुए थे, ताकि दो-तिहाई बहुमत हासिल किया जा सके, जो फिलहाल सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

लोकसभा में मतदान कल शाम 4 बजे के लिए तय किया गया है, क्योंकि सदन आज देर तक चल रहा है।

सत्तारूढ़ दल के गृह मंत्री, जिन्हें दलों को तोड़ने वाले, और मुख्य चुनाव

■ सरकार को कुल 251 वोट मिले थे, विधेयक पेश करते समय तथा 290 वोट चाहिए, दो तिहाई बहुमत पाने के लिए। अतः फर्क इतना अधिक है कि यह संभावना बहुत कम है कि विपक्ष को तोड़ कर संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया जा सके।

■ इस क्षीण संभावना के बावजूद सरकार, संविधान संशोधन विधेयक को वापस लेने के विकल्प के बारे में कतई सोच ही नहीं रही।

■ अतः, सरकार को महिला आरक्षण विधेयक का पारित न होना स्वीकार है, पर, वापस लेना स्वीकार नहीं। इसलिए छोटी-छोटी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास जारी है।

प्रबंधक व रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है, विपक्ष की कमज़ोर कड़ियों पर नज़र रखते हुए संख्या जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकन, संख्या का अंतर काफी बड़ा है और विपक्ष के लिए भाजपा की मदद करते हुए दिखना आसान नहीं है।

चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता को भी आंध्र प्रदेश में बड़ी राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब, जब पूरा दक्षिण भारत एक तरफ हो और वे दूसरी तरफ खड़े दिखें।

सवाल यह भी उठता है कि क्या

उनका समर्थन बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद में है, जो उन्हें भाजपा से मिल सकता है, या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका जवाब केवल नायडू ही दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा की अनदेखी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को 2026 की जाति जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मांग की, न कि पुराने आंकड़ों के आधार पर, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उनका हिस्सा नहीं मिल पाएगा।

उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में

■ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से वार्ता में कहा, हम महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, पर, पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे

सरकार का पूरा समर्थन करेगी, लेकिन पिछड़े वर्गों, दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर सहित, छोटे राज्यों के अधिकारों से वंचित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।

राहुल ने बताया कि सरकार 2011 की जनगणना पर जोर दे रही है, जिसमें ओबीसी से संबंधित कोई आंकड़ा है ही नहीं, और इससे उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का कारण समझाया

“महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का पुरुषों व किसी भी राज्य पर फर्क नहीं पड़े, इसके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करना ही पड़ेगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में, केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, जो चल रहे विशेष सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण के महत्व पर बात की।

मोदी ने कहा, “जब से हमारे देश में महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई है और जब भी चुनाव हुए हैं, महिलाओं को लाभ देने का विरोध करने वालों को देश की महिलाओं ने कभी माफ नहीं किया।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत लोकतंत्र की जननी है। विकास की इस यात्रा में हमें एक नया आयाम जोड़ने का पवित्र अवसर मिला है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर

■ “और, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए नए ढंग से परिसीमन करना ज़रूरी है।”

■ पर, विपक्ष, प्र.मंत्री के तर्कों को इतना तो स्वीकार करता है कि नए सिरे से सीटों का परिसीमन भी ज़रूरी है। पर, विपक्ष ने यह खामी निकाली है कि परिसीमन नई जनगणना के बाद होना चाहिए। क्योंकि, नये सेंसस में पहली बार निर्धारित हो जाएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है, क्योंकि नये सेंसस में पहली बार, जातिगत जनगणना होगी और पहली बार आंकड़ा सामने आएगा कि देश में कितनी जातियाँ हैं और तब परिसीमन करना उचित होगा, क्योंकि तभी पूरी तरह से मालूम होगा कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने बैकवर्ड हैं, आदि, आदि।

मिला है।”

कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तावित संविधान (एक सी इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत कर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने परिसीमन विधेयक, 2026 भी पेश किया, जिससे विधायी निकायों

में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 815 हो जाएगी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश के उदाहरण से चौकन्ने हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू

चंद्रबाबू नायडू ने न केवल अपने बेटे नारा लोकेश को टीडीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बल्कि संगठन में भी भारी बदलाव किया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के कुछ ही दिनों के भीतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद, चंद्रबाबू नायडू द्वारा अपने बेटे नारा लोकेश को टीडीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करना कोई संयोग नहीं है। यह कदम पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया है।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने जेडीयू के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। उनके बेटे निशान्त हाल ही में राजनीति में आए हैं और अभी अनुभव हासिल कर रहे हैं। यह भी चर्चा का विषय है कि क्या वे अपने पिता की जगह ले पाएंगे। फिलहाल जेडीयू का संचालन कई वरिष्ठ

■ चंद्रबाबू ने सभी प्रमुख पदों पर अपने व अपने पुत्र के विश्वस्तों को नियुक्ति दी है तथा वरिष्ठ नेताओं को कम महत्व के पद दिए हैं।

■ नीतीश राज्यसभा में चले गए हैं, उनके पुत्र हाल ही में राजनीति में आए हैं, और इन हालात में जद (यू) के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है परन्तु चंद्रबाबू नायडू टीडीपी में यह हालात नहीं चाहते हैं।

■ विशेषज्ञों का कहना है, सिर्फ वे ही क्षेत्रीय दल, बड़े दलों के विस्तारवाद से खुद को बचा पाए हैं, जिन्होंने समय रहते ठोस उत्तराधिकार योजना बना ली थी, जैसे बिहार में राजद, तमिलनाडु में द्रमुक, यूपी में सपा और जिन दलों ने ऐसा नहीं किया, वे कमज़ोर हो गए हैं।

नेताओं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी सहित, अन्य दिग्गज नेताओं द्वारा किया जा रहा है।

बिहार में जेडीयू के सहयोगी दल भाजपा पर अक्सर यह आरोप लगा रहा है कि वह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस और ईरान से तेल खरीदने की छूट नहीं बढ़ाएगा अमेरिका

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान व रूस से तेल खरीदने की जो छूट दी थी, उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। भारत इन छूटों का एक बड़ा

■ अमेरिका के ट्रेज़री सैक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, 11 मार्च से पहले जो तेल जहाजों पर लद चुका था, सिर्फ उसे बेचने की अनुमति थी, वो सारा तेल अब बिक चुका है।

लाभार्थी रहा है, क्योंकि इनके चलते नई दिल्ली को होमजुस्ट स्टेट के आसपास उत्पन्न व्यवधानों के बीच रूसी तेल की खरीद जारी रखने की अनुमति मिली थी। ट्रेज़री सैक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक तरफ ट्रंप वार्ता पुनः शुरु कराने के फायदे गिनाते-गिनाते थक गए हैं

दूसरी ओर उसके मंत्रिगण (सचिव लोग) ईरान को डराने-धमकाने का मौका खाली नहीं छोड़ते

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के समाधान के लिए वार्ता फिर शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोनों पक्ष फिर से टकराव की धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए वार्ता की मेज पर आने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पहले से भी अधिक कठोर हमले किए जाएंगे। हेगसेथ ने दावा किया कि नाकाबंदी प्रभावी रही है और इसने ईरानी बंदरगाहों से जहाजों को आवाजाही को रोक दिया है।

हेगसेथ ने यह भी कहा कि जो जहाज अमेरिकी नाकाबंदी का पालन नहीं करेंगे, उन्हें “रोका” जा सकता है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी सेना उन जहाजों पर चढ़कर तलाशी और

■ अमेरिका के सैक्रेटरी ऑफ वॉर, पीट हेगसेथ ने ईरान को चेतावनी दी कि ईरान चुपचाप वार्ता करने टेबल पर आ जाए, अन्यथा अमेरिका की बमबारी ईरान में पहली बार से ज्यादा तबाही मचा देगी।

■ हेगसेथ ने यह कहा कि अमेरिका का “ब्लॉकैड” पूर्णतया सफल रहा है तथा अमेरिकी जहाजों ने चेतावनी प्रसारित की है कि अगर कोई जहाज ब्लॉकैड तोड़ कर निकलने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी नौ सैनिक उन जहाजों पर जबर्जत चढ़कर तलाशी लेंगे।

■ अमेरिका की शायद अब यह रणनीति है कि ईरान पर इतनी बमबारी करो कि ईरान की जनता तंग आकर ईरान की सरकार के खिलाफ बगावत कर दे, युद्ध समाप्त करवाने के लिए।

■ ईरान का स्टैंड, पश्चिमी देशों की इस सोच से काफी भिन्न है और वह भूखे पेट भी लड़ने को, मारने को तैयार है।

■ यह कुर्बानी की परम्परा पाश्चात्य सोच को अटपटी लगती है, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं दिखता।

जबकी को कार्रवाई कर सकती है। अब तक कई जहाज अमेरिकी नौसेना की इस

चेतावनी के बाद वापस लौट चुके हैं। दूसरी ओर, ईरान अपने रख से

पीछे हटता नज़र नहीं आ रहा है और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चुनाव आयोग को अफसरों के तबादले का हक है’

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने जोर

■ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सत्ता की पुष्टि की और आयोग द्वारा अफसरों के तबादले करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

देकर कहा कि याचिका को खारिज किए जाने के बावजूद, इसमें उठाए गए कानूनी प्रश्न भविष्य में विचार के लिए खुले रहेंगे।

यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें इन तबादलों को सही ठहराया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है।

कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटलतीफी से 415 लोगों की नौकरियां अटकीं

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड के ? सचिव को कई बार पत्र लिखकर “कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024” का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है

-कार्यालय संवाददाता-

-जयपुर, 16 अप्रैल। राजस्थान

कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटलतीफी के कारण 415 लोगों की नौकरियां अटकी हुई हैं। दरअसल “कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024” भर्ती में 35 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए थे, जिसके बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने 4 अप्रैल 2026 को पत्र लिखकर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन करीब 12 दिन बीतने के बावजूद यह परिणाम जारी नहीं हो सका। अब कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव नरेश

गोकलानी ने 15 अप्रैल को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर इस परीक्षा का परिणाम तत्काल जारी करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि “कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024” भर्ती में 380 अभ्यर्थियों ने विकल्प प्रस्तुत करके ऐच्छिक व्यवसाय/विषय का चयन किया और काउंसिलिंग में भाग लेकर अन्य पदों पर नियुक्तियां प्राप्त कर लीं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य व्यवसाय/विषय चुनने के कारण भी जो पद खाली हुए हैं, उन्हें भरने के लिए नए अभ्यर्थियों का चयन करते हुए बोर्ड की अनुशंसा भेजे

■ विभाग के मंत्री ने भी 9 अप्रैल को विभागीय बैठक में भर्ती प्रकरणों की देरी पर नाराज़गी जताई थी, पर, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ।

जाने का अनुरोध पूर्व में किया गया था, लेकिन आज दिन तक यह काम नहीं हुआ। पत्र में लिखा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड “कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024” भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करें, जिससे अपात्र पाए गए 35 लोगों की जगह भी नए लोगों को नौकरी मिल सके। इसके साथ ही अन्य विषय/व्यवसाय चुनने

वाले अभ्यर्थियों के कारण भी जो 380 पद रिक्त रह गए हैं, उन्हें भरने के लिए नए 380 चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाएं, ताकि पात्र लोगों को नौकरी मिल सके।

पत्र में लिखा गया कि मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने भी गत 9 अप्रैल को विभागीय बैठक में भर्ती प्रकरणों की देरी पर नाराज़गी जताई थी। हैरानी की बात है

कि मंत्री की नाराज़गी के बावजूद, राज्य कर्मचारी चयन आयोग इस पूरे प्रकरण को दबाए बैठा है। सूत्रों का कहना है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन सोशल मीडिया “एक्स” पर टिप्पणियां और पोस्ट साझा करने में मशगूल रहते हैं, लेकिन उनके विभाग की लापरवाही से 415 पात्र लोगों की नौकरियां अटकी हुई हैं, क्योंकि वे उसके लिए नए चयनित अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। जबकि कौशल उद्यमिता विभाग और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने उन्हें कई बार पत्र लिखकर इस संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रतियां जलाईं

नामकल, 16 अप्रैल। द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज परिसीमन विधेयक, 2026 की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संसद का विशेष सत्र आज शुरू हो रहा है। इस सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया जाना है।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। खास तौर पर, इस विधेयक के खिलाफ

■ उन्होंने पूरे तमिलनाडु में घरों पर काला झंडा फहराने का आह्वान किया।

द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुरू से ही अपना कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक के विरोध में तमिलनाडु भर में घरों पर काला झंडा फहराने का आग्रह किया है।

नामकल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने काली शर्ट पहनकर ध्वजस्तंभ पर काला झंडा फहराया और परिसीमन विधेयक की प्रतियों को जलाकर, “लड़ेंगे, लड़ेंगे... तमिलनाडु लड़ेगा... जीतेंगे हम साथ मिलकर...” के नारे लगाए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु भर में विरोध की आग फैलने दो।